प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय-सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात अनुदान सं0-58 में कृषि विपणन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के 02 स्वीकृत कार्य हेतु धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं0- आई/493820/2026, दिनांक 06.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनुदान सं0-58 में कृषि विपणन योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के 02 स्वीकृत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 23.81 लाख की धनराशि को कार्य पर भारित करते हुए आई0ओ0सी0एल0 को अग्रिम में भुगतान किया गया था और उक्त धनराशि को कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है, के समतुल्य धनराशि रू0 23.81 लाख (रूपये तेईस लाख इक्यासी हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: अवमुक्त किए जाने की अधोलिखित विवरण/शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र.	खंण्ड/ जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	मूल शासनादेश	बचत	कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा की गयी	राजकोष में जमा की गयी धनराशि का वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0खं0-2 सोनभद्र	चोप कोटा कोच खरौदी मार्ग अन्य जिला मार्ग के किमी 17 के दायें तरफ रोगही सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	141.62 141.62	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020, दिनांक 17.02.2021	25.31	सं.- CM00041, दिनांक 22.03.2023	13.32
2	नि0खं0-2 सोनभद्र	चोप कोटा कोच खरौदी मार्ग अन्य जिला मार्ग के किमी 32 के बाए तरु कोन डोमा सम्पर्क मार्ग के किमी 6 से बाएं तरफ निकलकर बरियाती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	217.69 217.69	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020, दिनांक 17.02.2021	3.95	सं.- CM00041, दिनांक 22.03.2023	10.49
						योग	23.81

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग/व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जय कि उक्त धनराशि वास्तविक रूप से राजकोष में जमा हो गयी है और राजकोष में जमा की गयी धनराशि उसी कार्य की है, जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कर प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य पर किया जाए जिस कार्य पर प्रथमत: उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषगार में जमा कर दी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशी/जापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि से उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासयकी एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिवन्ध का अक्षरशः अनुपात सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एस० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के शासनादेश संख्या-10/2022/वी-1-345/दस-2022. दिनाक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाय संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शती का अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत आदेश की प्रति कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-I/952140/2025, दिनांक 02-05-2025 संख्या-I/962076/2025. दिनांक 14-05-2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाय। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रति भी अवश्य प्रेषित की जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,81,000 (रुपये तेईस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, प्रथम(निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य अभियंता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in